तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमसिंह जोधा** **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 35/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24–09–24	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन 13/01/2024 में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी आदेश दिनांक 04.01.2024 एवं परिपत्र दिनांक 03.01.2024 की पालना में कार्यालय तहसीलदार कुडी भगतासनी में वर्ष 2023–24 में राजकीय अधिकारियो/कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद पटवार मण्डलों में किये गये पटवारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन की प्रमाणित सूचि मय आदेश सहित उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर जोधपुर	